

प्रेसनोट दिनांक 20.04.2021

1. दिनांक 19.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार राम थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पिन्टू कुमार पुत्र सुरेश महतो नि0 झौर थाना वर्सिलनगंज जनपद नेवादा, बिहार अभियुक्तगण द्वारा 82 द0प्र0सं0 के तामीला के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उपस्थित न होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 260/21 धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 19.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मराज जायसवाल पुत्र स्व0 पन्नालाल नि0 नाका हनुमानगढ़ी थाना को0नगर अयोध्या अभि0 द्वारा घोषित रात्रि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बी0के0 लेडीज कार्नर, तानिया ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई ब्यूटीशियन मेंहदी प्रशिक्षण केन्द्र खोल कर भीड़ एकत्र करना, जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 261/21 धारा 188, 269 भादवि 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 19.04.21 को वादी श्री गौस मोहम्मद पुत्र जैनुलआबदीन नि0 कोटरा थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 अयूब पुत्र सहाबुद्दीन नि0 कोटरा थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा वादी व उसके भाई को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 186/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 19.04.21 को वादी श्री मो0 अयूब पुत्र सहाबुद्दीन नि0 कोटरा थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सैफुद्दीन पुत्र शहजाद नि0 कोटरा थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा वादी व उसकी माँ को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 187/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 19.04.21 को वादी श्री गुरु लाल पुत्र लोधे राम नि0 अलियाबाद थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 41 एटी 0358 का चालक माबूद वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भांजे की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे भांजा व बहन को गम्भीर चोटें आना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 84/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।